सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रार्थना पत्र तिथि: 23/03/2020

सेवा में,

श्रीमान माननीय केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदय जी.
दिल्ली महिला आयोग, भारत सरकार,
... C-P, भूतल एवं प्रथम तल, भारतीय पुनर्वास ...
गांधी रोड, नई दिल्ली -110002

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं दिलवाने हेतु प्रार्थना-पत्र:-

महोदय जी,

सविनय निवेदन यह है कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें निम्न लिखित सूचनाएं RTI Act 2005 के तहत दिलवाने की कृपा करें। हम आपका यह उपकार जिन्दगी भर नहीं भूल पायेंगे। तथा सदा ही आपके आभारी रहेंगे।

1. माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में कहाँ कहाँ पर तथा कितने मकान तैयार हो चुके हैं या तैयार हो रहे हैं सूचना दें। विस्तार पूर्वक सूचना दिलवाने की कृपा करें।
2. PMAY (CMAY) (EWS BPL) परिवारों के लिए क्या योजना है तथा इसके लिए किस तरह से APPLY (Registration करवाना) करना होता है पूरी सूचना दिलवाने की कृपा करें।
3. (PMAY) (CMAY) (1 BHK) किस तरह के मकान बनाये गये हैं तथा BPL परिवारों के लिए यह कितने रुपये में है क्या होता है पूरा Amount की जानकारी कृपा करें।

Reg 19.5.2020
AS(T)

Ravi Since the matter is closely related to MOHUA, the RTI may be forwarded u/s 6(3) of RTI Act 2005 pl. [signature] 15.5.2020

4. PMAY (CMAY) के तमाम (सार) NBCC, HUDCO, DDA या कोई अन्य संस्था या Pvt Builders Real Estate भी हुई क्या रहे हैं या नहीं क्या दिल्ली में कहाँ कहाँ पर बन चुके हैं या बनाये जा रहे हैं।

5. PMAY (CMAY) के तहत EWS BPL परिवारों को कितने-कितने हजार लोन LOAN क्या National Housing Bank क्या अन्य किस किस बैंकों से (LIC Housing Finance) कितना LOAN क्या कितने Years के लिए क्या किस ब्याज दर पर या बिना ब्याज दर पे मिल पाता है। कृपया करके पूरी जानकारी लिखवाकर भेजने का कष्ट करें।

6. PMAY (CMAY) BPL EWS परिवारों को खरीदने के लिए कितनी क्या किस प्रकार की क्या बैंकों से कितना रुपया ... मिल पाता है। क्या कितना वापस क्या बिना वापस करना होता है।

7. PMAY (CMAY) (आवास) हेतु APPLY Registration करने हेतु कैसे कैसे क्या Months, Date Years क्या इसके लिए क्या क्या Address Proof चाहिए होते हैं कृपया करके पूरी जानकारी लिखवाकर भेजने का कष्ट करें।

8. EWS BPL परिवारों को सरकारी बैंकों क्या सरकारी प्राइवेट बैंकों क्या NH Bank & LIC Housing Finance द्वारा कितना Home LOAN क्या कितने Interest पर क्या कितने समय के लिए मिल पाता है या नहीं। पूरी सूचना लिखवाकर भेजने का कष्ट करें।

आशा करते हैं आप मेरे इस प्रार्थना पत्र पर जल्दी से जल्दी गौर करेंगे। क्या इसके लिए आपका आभारी रहूँगा।

(आवेदक/प्रार्थी)
EWS BPL Category
BPL Card No
07700028 31906

दिनांक - 23/03/2020
स्थान :- दिल्ली -

(प्रार्थी)
देवी सिंह
H.No. F-104, GALI NO. 4
WEST KARAWAL NAGAR
P.O. KARAWAL NAGAR
DELHI - 110090

...ब तक 436 ...स दर्ज, 1427 ...रासत में

नईदिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा पर काबू के बीच एफआईआर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मामले की जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हिंसा मामले को लेकर जिले के अलग-अलग थानों में अब तक कुल 436 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जबकि 1427 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत मे लिया गया है। शिकायतों के मिलने का सिलसिला जारी है और हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मामले की जांच में जुटी पुलिस को हिंसा से जुड़ी सीसीटीवी व वीडियो फुटेज भी लगातार मिल रहे हैं। उधर हिंसा के पीड़ित लोगों का डाटा जुटाकर उनको मुआवजे की औपचारिकताएं पूरी करने का काम शुरू कर दिया है। उधर मामले की जांच में जुटी एसआईटी के साथ एफएसएल की टीम लगातार इलाके का दौरा कर रही है और घटनास्थल का मुआयना कर मौके से जांच के लिए नमूने उठा रही है।

स्वर्ण जयंती समारोह 50

आपके परिवार का घर का सपना, अब होगा सच में अपना

हडको निवास

हडको वैयक्तिक आवास ऋण योजना

आपका अपना घर, आपके दिल की ख्वाहिश, अब आप इसे, हडको की वैयक्तिक आवास ऋण योजना, हडको निवास से साकार कर सकते हैं.

हडको निवास – मुख्य विशेषताएं

1 करोड़	₹ 2 करोड़	2.67 लाख	कोई पूर्व-भुगतान/ पूर्व-समाप्ति शुल्क नहीं		30-04-2020 तक कोई प्रशासनिक एवं प्रक्रिया शुल्क नहीं

अधिक जानकारी के लिए
नजदीकी हडको निवास कार्यालय से संपर्क करें या
हमारी वेबसाइट www.hudco.org देखें

* प्रधान मंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों को पूरा करने की शर्त पर
** नियम एवं शर्तें लागू

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन : L74899DL1970GOI005276, जीएसटी न. : 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन न. : 011-24649610-23, फैक्स न. : 011-24625308, वेबसाइट : www.hudco.org
सभी का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत ... पर हमें फॉलो करें

लिए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार

डीडीए का कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं

घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है अथॉरिटी

Poonam.Gaur@timesgroup.com

नई दिल्ली : घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कानून को डीडीए खुद ही तरजीह देने के मूड में नहीं है। कानून बनने के बाद दिल्ली में गठित रेरा के समक्ष अब तक डीडीए ने एक भी प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कराया है, जबकि डीडीए अपने दो हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर चुका है। कायदे से सरकारी या प्राइवेट बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हालांकि अब डीडीए का कहना है कि उसने अपने प्रोजेक्ट्स को रेरा में रजिस्टर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कायदे से न सिर्फ प्राइवेट बल्कि डीडीए जैसी सरकारी एजेंसियां भी रेरा कानून के दायरे में हैं। नवंबर 2018 से पहले तक तो रेरा के चेयरमैन की जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर डीडीए के उपाध्यक्ष की होती थी, लेकिन इसके बावजूद डीडीए ने रेरा में अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कराए। अभी भी डीडीए का कोई प्रोजेक्ट रेरा के पास रजिस्टर्ड नहीं है। प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने के साथ ही डीडीए या किसी भी प्राइवेट बिल्डर को प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारियां रेरा को देनी होती हैं और फिर रजिस्ट्रेशन होने पर रेरा प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है। इस जानकारी में न सिर्फ प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले फ्लैट्स के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, बल्कि उसकी समय सीमा भी बतानी होती है। लेकिन डीडीए ने इस तरह की कवायद ही नहीं की। संसद में रेरा कानून पारित होने के बाद दिल्ली में रेरा के गठन का नोटिफिकेशन नवंबर 2016 में हुआ था। उसके बाद दिल्ली रेरा का अंतरिम गठन किया गया और डीडीए के उपाध्यक्ष को ही जिम्मेदारी दी गई। डीडीए के दो उपाध्यक्षों ने यह जिम्मेदारी भी संभाली लेकिन डीडीए ने ही रेरा से खुद को दूर रखा। डीडीए सूत्रों का कहना है कि अब तक डीडीए का एक भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि नवंबर 2017 में डीडीए की 21 हजार के करीब फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई थीं।

> रेरा के गठन के बाद दो हाउसिंग प्रोजेक्ट कर चुका है लॉन्च

18/02/2019

इस माह लांच होगी डीडीए की आवासीय योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई आवासीय योजना की लांचिंग आगे बढ़ गई है। अब यह योजना फरवरी के मध्य नहीं बल्कि अंत तक लांच होगी। योजना में 10 से 12 हजार परिवारों को आशियाना मिल सकेगा।

दरअसल, 21 फरवरी को डीडीए बोर्ड की बैठक के बाद ही इस योजना को लांच किया जा सकता है। इस बीच डीडीए ने योजना के फ्लैटों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर फंस रहा पेच भी दुरुस्त कर लिया है। डीडीए अधिकारी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले नई आवासीय योजना लांच हो जाए। योजना में एलआइजी, एचआइजी, एमआइजी और ईडब्ल्यूएस सभी श्रेणियों के फ्लैट शामिल होंगे।

पानी की कमी से कम हुए योजना के फ्लैट: डीडीए की यह नई आवासीय योजना पहले 2018 में आनी थी। इसमें 21 हजार फ्लैट थे। लेकिन पानी की कमी से योजना में फ्लैटों की संख्या अब कम कर दी गई है। डीडीए के अधिकारी नहीं चाहते कि आवंटन के बाद सफल आवंटी फिर से फ्लैट लौटाने पर विवश हों। इसीलिए वह फ्लैटों में बिजली, पानी, रंग रोगन एवं सड़क की बुनियादी सुविधाएं पहले से ही सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि डीडीए की कोशिश अभी भी योजना में ज्यादा से ज्यादा फ्लैट शामिल करने की है।

> डीडीए
>
>
>
> - 10 से 12 हजार परिवारों को मिल सकेगा आशियाना
> - डीडीए बोर्ड की बैठक 21 को होने से आगे खिसकी योजना
>
> डीडीए की बोर्ड बैठक के बाद फरवरी के अंत तक नई आवासीय योजना लांच कर दी जाएगी। हम अभी भी योजना में ज्यादा से ज्यादा फ्लैट शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुमान है कि यह 10 से 12 हजार के बीच होंगे।
>
> तरुन कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

जल्द बनेंगे 74 सौ ईडब्ल्यूएस फ्लैट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) जहांगीरपुरी में निर्माणाधीन 74 सौ ईडब्ल्यूएस फ्लैट जल्द तैयार होंगे। धीमी पड़ी इस योजना को गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब 366.84 करोड़ की जगह 459 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। डूसिब के इस प्रस्ताव को गत दिनों हुई खर्च एवं वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में शहरी विकास विभाग ने रखा था। इसमें कुछ जरूरी सुधार करने के लिए कहा गया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी देकर अधूरे पड़े फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा कराने को प्रयासरत है।

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत भलस्वा जहांगीरपुरी के पाकेट-दो में 2011 से 74 सौ ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस योजना पर केंद्र सरकार के सहयोग से 366.84 करोड़ खर्च होने थे। यह राशि खर्च होने के बाद भी फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस पर डूसिब ने अब इस योजना को पूरा करने के लिए 92.34 करोड़ रुपये और खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब इस योजना पर कुछ 459.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना पर केंद्र सरकार का 173.48 करोड़ का शेयर था, लेकिन 130 करोड़ की राशि ही जारी हो सकी थी। शेष 43.37 करोड़ की राशि जारी होनी थी। इसी बीच नौ दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम योजना को बंद कर दिया। इसकी वजह से शेष राशि जारी करने से केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। इससे अब योजना को पूरा कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। धन की कमी के चलते योजना पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। ये फ्लैट चार मंजिला इमारतों में बनाए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 96 फीसद काम पूरा हो चुका है।

दिल्ली सरकार झुग्गी के बदले फ्लैट देने की योजना को भी जल्द ही जमीन पर उतारने के प्रयास में है। योजना के तहत दिल्ली में 5 हजार फ्लैट बनाए जाने हैं। इसे जल्द आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं।

...ाग के साथ रहने वाले व्यक्ति, भारतीय सेना से ...
...र्यरत, भारतीय वायु सेना व थल सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए
...ेस में छूट दी जाएगी।

हुडको ने 87 फीसदी वृद्धि दर्ज की

नई दिल्ली। हुडको के सीएमडी डॉ. एम रवि कंठ ने वर्ष 2018-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हुडको ने 17,100 से अधिक आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम किया है। हुडको ने देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 19.34 मिलियन से अधिक घरों के लिए सहायता की। वर्ष 2018-19 के दौरान, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी सहित कुल 20.6 लाख आवास इकाइयों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि हुडको ने गत वित्तीय वर्ष में 87 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है।

15/04/2019

एनबीसीसी के सामवेद का 14वां संस्करण आयोजित

नई दिल्ली। सामवेद के 14वें संस्करण में एनबीसीसी के सीएमडी डॉ. अनूप कुमार मित्तल ने कहा कि नवरत्न सीपीएसई को अपनी ऑर्डर बुक ... सामवेद एक त्रैमासिक मंथन बैठक,

"हमने संकल्प लिया है कि जब देश की आजादी के 75 साल हों, तो भारत के गरीब-से-गरीब का भी अपना पक्का घर हो।"
—नरेन्द्र मोदी

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी

जहाँ झुग्गी वहाँ मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिल्ली झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर का सर्वेक्षण/पुनर्विकास

पात्रता निर्धारण तिथि : 1 जनवरी 2015

जरूरी कागजात : वोटर आईडी और कोई एक फोटो पहचान पत्र

दो कमरों का घर बिजली, पानी एवं सीवरेज सहित

लाभार्थी द्वारा अंशदान : 1 लाख 42 हजार रुपये

376 से अधिक जे जे क्लस्टरों का पुनर्वास

2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ

7500 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण अंतिम चरण में

[illegible]

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 160 से अधिक जे जे क्लस्टर का सर्वेक्षण प्रगति पर है

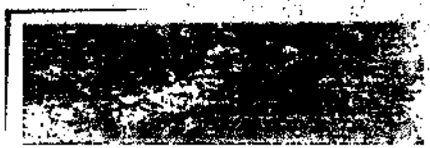

जेलर वाला बाग, अशोक विहार

कालकाजी एक्सटेंशन

[illegible] विहार

ए-14 कालकाजी एक्सटेंशन

कठपुतली डी-2, डी-3 एवं ए-3

मोतीलाल [illegible] कैंप

कठपुतली कॉलोनी, [illegible]

इंदिरा कैंप, पार्ट-2

शास्त्री मार्केट

- कठपुतली कॉलोनी, कालकाजी एक्सटेंशन और जेलर वाला बाग, अशोक विहार सीटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मकान दिसंबर, 2020 तक पूरे हो जाएंगे।
- इसमें 7500 परिवार लाभान्वित होंगे।

- जल्द ही कार्य शुरू हो जायेगा।
- इसमें करीब 34000 परिवार लाभान्वित होंगे।

- सर्वे 31 जनवरी 2020 तक पूरा होगा।
- टोटल स्टेशन सर्वेक्षण (TSS) और डीपीआर तैयार किया जाएगा और अप्रैल, 2020 तक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- इसके अंतर्गत लगभग 85000 परिवार लाभान्वित होंगे।

शेष बचे जे जे क्लस्टरों का सर्वेक्षण शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आई.एन.ए. नई दिल्ली - 110023
अधिक जानकारी के लिए दि.वि.प्रा. वेबसाइट : www.dda.org.in देखें

पाकिस्तान-कांग्रेस की क्यों एक ही भाषा, देश करे क्या इनसे आशा!

—— विजय गोयल, रास सांसद

ब्लैकमेल करने वाले और माफिया को मध्यप्रदेश में पनपने नहीं देंगे।

—— कमलनाथ, सीएम, मप्र

नई दिल्ली। मंगलवार • 17 दिसम्बर • 2019 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com |

2022 तक हर बेघर को मिलेगा पक्का मकान : पुरी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश के हर बेघर को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और सरकार इस योजना की काफी प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत दो लाख घर दिल्ली में बनाने की योजना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में 'जहां झुग्गी-वहीं मकान' योजना के तहत झुग्गीवासियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कालोनियों में निवास करने वाले 50 लाख लोगों को 'पीएम-उदय' के तहत मालिकाना हक दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात सोमवार को रोहिणी में कई योजनाओं का एक साथ शिलान्यास करने के मौके पर कही। इस मौके पर उप-राज्यपाल अनिल बैजल, नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य नेता भी थे।

उन्होंने कहा कि 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के लगभग 50 लाख निवासियों को लाभान्वित करने का निर्णय प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में लिया गया। इन अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मामूली दरों पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल लांच हो चुका है। मंत्री ने कहा कि 1500 से अधिक कॉलोनियों के मानचित्र पहले ही सीमांकित किए जा चुके हैं और 1100 से अधिक मानचित्र पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र रोहिणी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहिणी, जिला केंद्र सेक्टर 24, रोहिणी, दो सप्लीमेंट्री नालों को जोड़ते हुए सेक्टर 24 और 25 के बीच आउट फॉल ड्रेन, रोहिणी के सेक्टर 7,8,13,14,15 और सेक्टर-19 के 6 पार्कों में सिंथेटिक रबड़ीकृत फ्लोरिंग का शिलान्यास किया।

सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र पर 350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह योजना 44,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर होगी। इसमें कला सभागार, सम्मेलन-प्रदर्शनी, ओपन एयर एम्फीथिएटर, बहुउद्देशीय प्रशिक्षण, बैठक कक्ष, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी-ई-लाइब्रेरी, दृश्य कला केंद्र, संग्रहालय, तारामंडल, प्रशिक्षण, प्रशासक, इंडोर और आउटडोर मनोरंजनात्मक केंद्र तथा स्वीमिंग पूल, क्लब, खेल आदि की सुविधा होगी। उप-राज्यपाल बैजल ने कहा कि रोहिणी क्षेत्र तकनीकी परिवर्तन का साक्षी रहा है और इस क्षेत्र को तीव्र गति से विकसित किया जा रहा है। डीडीए उपाध्यक्ष तरुण कपूर ने सभी अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि इन योजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

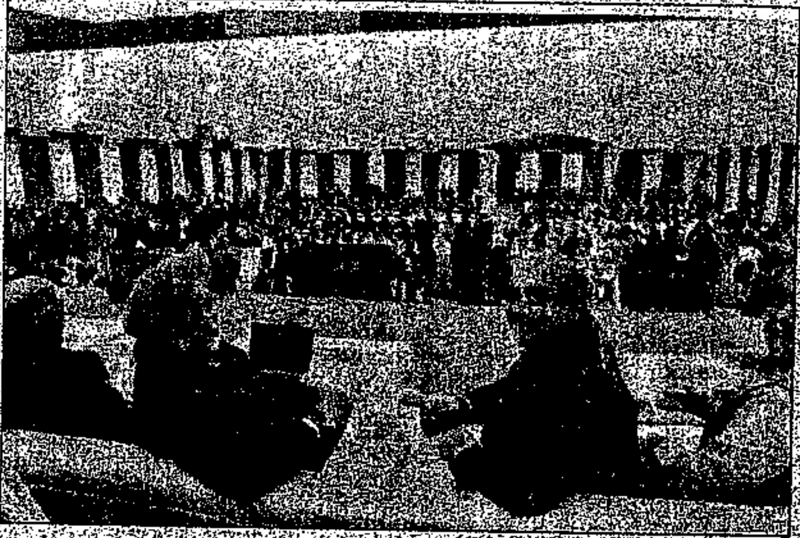

दिल्ली में बनेंगे दो लाख घर

झुग्गी वासियों के लिए 'जहां झुग्गी-वहीं मकान' योजना पर काम शुरू

कच्ची कॉलोनियों के 50 लाख लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज

अन्तरराष्ट्रीय सोशियो कल्चरल सेंटर समेत रोहिणी को दी करोड़ों की योजनाएं

राजधानी में 17 लाख नए घरों का रास्ता हुआ साफ

लैंड पूलिंग पॉलिसी : 5 लाख घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत बनेंगे | बिल्डरों के साथ मिलकर डीडीए 5 जोन में फ्लैट तैयार करेगा | दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद पूरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली में 17 लाख नए घरों का रास्ता साफ हो चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब इस योजना के क्रियान्वयन पर काम शुरू करेगा। 6 सितंबर को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए के पास 6 हजार हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है। अब बिल्डरों के साथ मिलकर डीडीए दिल्ली के 5 जोन में इस भूमि पर फ्लैट तैयार करेगा। सड़क और पानी जैसी बुनियादी सेवाएं डीडीए उपलब्ध कराएगा, जबकि अन्य इमारती ढांचा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार होगा। 17 लाख में से 5 लाख घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को ये जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने फिक्की सभागार में आयोजित सम्मेलन में दी। सम्मेलन में राजधानी के तमाम बिल्डरों को डीडीए ने आमंत्रित किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्डरों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्राधिकरण के साथ कार्य करने के लिए बढ़ावा देना था। इस दौरान एलजी अनिल बैजल भी मौजूद रहे।

डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर ने बताया कि 6 सितंबर को इस पॉलिसी के तहत आवेदन का आखिरी दिन था। इस योजना के तहत 6 हजार हेक्टेयर भूमि के आवेदन प्राधिकरण को मिले हैं। जल्द ही इन स्थानों पर आगे का कार्य शुरू होगा।

उन्होंने बताया कि 11 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली में पांच जोन एन, पी-2, के-1, एल और जे तय किया गया था। इसके तहत भू-स्वामी जमीन के पूल बन[illegible]करते हैं और उसे मास्टर प्लान के तहत विकसित कर सकते हैं। इसमें दिल्ली के करीब 95 गांवों का समावेश है। आरंभ में इस योजना को लेकर कई परेशानियां देखने को मिल रही थीं, लेकिन जब डीडीए ने गांवों में जाकर किसानों के बीच योजना के सही मायने समझाने का प्रयास किया, तो किसानों की दिलचस्पी बढ़ी। सम्मेलन में डीडीए ने बिल्डरों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्हें घाटे और मुनाफे के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में योजनाओं की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। अमर उजाला

मेट्रो फेज-4 के बचे तीन कॉरिडोर को मंजूरी जल्द

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले अगले कुछ महीनों में सरकार दिखाएगी झंडी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अगले कुछ महीनों में मेट्रो फेज-4 के रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर को सरकार की मंजूरी मिल जाएगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शुक्रवार सुबह मेट्रो फेज-4 के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी बेहतर तरीके से लागू करने के लिए आवाजाही दुरुस्त करनी होगी। नरेला इलाका भी इसमें से एक है, जो मेट्रो फेज-4 के मंजूर किए गए तीन कॉरिडोर से नहीं जुड़ता, लेकिन सरकार अगले कुछ महीनों में जल्द ही इस कॉरिडोर को मंजूरी दे देगी। गौरतलब है कि 103.94 किमी लंबे दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में छह कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। बीते साल 9 मार्च को इसमें से तीन कॉरिडोर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे रखी है। इसमें से एयरोसिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी (पश्चिम) और मुकुंदपुर से मौजपुर को करीब 24.95 हजार करोड़ में पूरा किया जाएगा, जबकि इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक व रिठाला-बवाना-मुंडका प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलनी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर नरेला कॉरिडोर को मंजूर कर लिया जाता है तो इलाके की आवाजाही आसान हो जाएगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी दिशा मिलेगी, यह सबके लिए फायदेमंद होगा। ब्यूरो

6,407 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण पूरा

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि डीडीए के पास 6,407 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण हो गया है। जोन पी-2, एन, एल एवं के-1 में किसानों ने क्रमशः 1,248 हेक्टेयर, 3,268 हेक्टेयर, 229 हेक्टेयर व 1,691 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत कराई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी का रूप देने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2021 तक एफएआर को बढ़ाकर दिल्ली में बेहतर आवासीय योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं डीडीए दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देने [illegible] काम कर रही है।

एनसीआर बोर्ड बैठक में मिली मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी

[illegible]

प्रधानमंत्री आवास योजना : बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को मिलेगा पुरस्कार

नई दिल्ली, 8 फरवरी (एजेंसी): सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र) के क्रियान्वयन और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में किया गया है जब सरकार द्वारा अब तक करीब 15 लाख घरों का निर्माण कराया गया जबकि इस योजना के तहत 2015 से 2022 के बीच करीब एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह पुरस्कार तय अवधि के भीतर लाखों लोगों के घर के सपने को साकार करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। मंत्रालय के मुताबिक, निर्माण, सामुदायिक गतिशीलता, झुग्गी पुनर्विकास, नीतिगत पहल, परियोजना निगरानी समेत अन्य में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कुछ विशेष श्रेणी के पुरस्कार भी रखे गए हैं।

देशभर में अटकी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए मिल सकती है वित्तीय मदद

घर मिलने की राह आसान होगी

नई दिल्ली | एजेंसी

देशभर में अटकी अवासीय परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले लाखों घर खरीदारों को इस हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि रियल एस्टेट कंपनियों की नकदी किल्लत दूर करने और घर खरीदारों को उनका घर दिलाने के लिए इस हफ्ते वित्तीय मदद (स्ट्रेस फंड) की घोषणा हो सकती है।

इसके साथ ही निर्माणाधीन आवासीय परियोजना पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव की भी संभावना है। सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी घटाकर 12 से पांच फीसदी कर दिया था। साथ ही किफायती आवास परियोजनाओं पर जीएसटी आठ से घटाकर एक फीसदी कर दिया था। हालांकि इसके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई थी। इससे डेवलपर पर निर्माण की लागत बढ़ गई थी। वह इसका बोझ घर खरीदारों पर डालने लगे थे। हाल ही में वित्त-मंत्री के साथ घर खरीदारों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। इसको देखते हुए निर्माणाधीन परियोजना पर जीएसटी दर में बदलाव करने की तैयारी है।

मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निर्माणाधीन आवासीय परियोजना पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी की जा सकती है। लेकिन इनपुट क्रेडिट का लाभ फिर से दिया जाएगा। इससे परियोजना की निर्माण लागत में कमी आएगी। इसका फायदा डेवलपर घर खरीदारों को देंगे।

220 प्रोजेक्ट में 1.74 लाख घर सात बड़े शहरों में अटके | **1.18** लाख फ्लैट अटके हुए हैं सिर्फ एनसीआर में

1774 अरब कीमत है अटके प्रोजेक्ट की | **2022** तक सभी को घर देने का लक्ष्य है सरकार का

28% घटी है घरों की बिक्री

ब्रोकरेज कंपनी एनारॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच साल के दौरान घरों के दाम में सात फीसदी का मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान इनकी मांग 28 फीसदी घटी है। इसी तरह घरों की आपूर्ति में इस दौरान 64 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इसलिए आई रियल एस्टेट में मंदी

प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस सेक्टर में मंदी आने की वजह आपूर्ति बढ़ना और मांग में कमी आना है। 2012 में कई डेवलपर ने अपनी वित्तीय स्थिति को आंके बिना कई प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए बाद में उसे पूरा नहीं कर पाए। इससे खरीदारों का विश्वास डोला और बिक्री गिर गई।

पांच लाख घर खरीदार प्रभावित
फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अनुसार, प्रॉजेक्ट्स में देरी से देशभर में पांच लाख से अधिक घर खरीदार प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा एनसीआर के हैं।

अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर
नारेडको अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि रियल्टी पर करों को तर्कसंगत बनाने और नकदी संकट दूर करने से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

नकदी किल्लत दूर करना जरूरी : अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने बताया कि सैकड़ों प्रोजेक्ट का काम नकदी संकट से रुका पड़ा या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इससे रियल एस्टेट कंपनियों और घर खरीदारों दोनों का नुकसान हो रहा है। फंड की कमी से डेवलपर प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं पा रहे हैं। अगर इस सेक्टर में नकदी की समस्या दूर होती है तो घर खरीदारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सस्ते कर्ज से बढ़ेगी मांग : वित्त मंत्री ने आवास वित्त कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है। वहीं बैंकों को कर्ज रेपो रेट से जोड़ने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कर्ज की उपलब्धता बढ़ेगी और लोन की ईएमआई घटेगी।

पक्के आवास को 270 झुग्गी बस्तियों के सर्वे का काम पूरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के निर्देश पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआइबी) ने गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए सर्वे का काम तेज कर दिया है। अब तक 270 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सवा लाख परिवारों का सर्वे हो चुका है। उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से जल्द सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास योजना (एमएमएवाइ) के तहत 675 झुग्गी बस्तियों में सर्वे का काम चल रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि इनके लिए कितने आवास की आवश्यकता है। झुग्गी समूहों के पुनर्वास के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके आधार पर ही पात्र लोगों का चयन होगा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप सरकार झुग्गी में रहने वाले प्रत्येक परिवार को सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसमें परिवार की तस्वीर के साथ स्थान व झुग्गी नंबर होगा। यह सर्वे आने वाले वर्षों में गरीबों के लिए घरों के निर्माण की मांग का आकलन करने में सरकार की मदद करेगा।

एप आधारित इस डिजिटल सर्वे में परिवार के सदस्यों के चित्रों के साथ-साथ व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र देने होंगे। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल आदि की फोटोकॉपी के साथ झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इससे यह पता लगेगा कि परिवार कितने साल से झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा है और घर में कितने लोग हैं। इससे आवंटन प्रक्रिया के दौरान अनुचित दावों को रोकने में मदद मिलेगी। इस योजना से वही लोग लाभांवित होंगे जो मापदंड को पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की सेवा ली जा रही है। एप आधारित सर्वे के तहत डाटा ऑनलाइन एकत्र हो रहा है, जिसे अधिकारी ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। इससे सर्वे को त्रुटि मुक्त और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाया जा रहा है।

यह है योजना: मुख्यमंत्री आवास योजना-2015 के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को पक्के फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। मौजूदा झुग्गी के पांच किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास की योजना है। दिल्ली सरकार प्रमुख स्थानों पर 5500 नए फ्लैट बनाने की योजना पर काम कर रही है। सर्वे पूरा होने के बाद आवंटन शुरू हो जाएगा।

क्रियान्वयन

- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने हैं आवास
- दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड ने सर्वे का काम किया तेज

डीयूएसआइबी द्वारा बनाए गए फ्लैट जिसका आवंटन होना है।

21/02/2020

खाली पड़े 35 हजार फ्लैटों के आवंटन का काम जल्द होगा शुरू

Bhupender.Sharma
@timesgroup.com

[illegible]

- जेजे बस्तियों में रहने वाले ढाई हजार परिवारों को ड्रॉ के जरिए दिए जाएंगे फ्लैट
- झुग्गियों में रहने वाले 65 हजार परिवारों को बांटे जा चुके हैं सर्वे सर्टिफिकेट

केजरीवाल सरकार ने गारंटी कार्ड में हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए पक्का मकान देने का वादा किया है। नई सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित विभाग को 'जहां झुग्गी, वहां मकान' योजना को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं और नए मकान बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है। वहीं, दूसरी ओर सरकार खाली पड़े फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) समेत दूसरे विभाग के करीब 35 हजार मकान खाली पड़े हैं। इसके लिए ड्रॉ की प्रक्रिया भी अगले 10 दिनों में शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

दिल्ली सरकार की तरफ से झुग्गियों में रहने वाले 65 हजार परिवारों को सर्वे सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। जहां झुग्गी, वहां मकान योजना के तहत इनके लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। अभी खाली पड़े फ्लैट के आवंटन की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। डूसिब के सदस्य विपिन राय का कहना है कि खाली पड़े फ्लैटों के लिए पहले चरण में करीब 2500 परिवारों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। ये खाली फ्लैट द्वारका, भलस्वा, बापरौला, सुल्तानपुरी में हैं। दिल्ली सरकार अभी तक 5 हजार परिवारों को शिफ्ट कर चुकी है। पटपड़गंज और कई इलाकों में झुग्गियां थीं। इनमें रहने वाले लोगों को पक्के मकान बना कर दे दिए गए हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन झुग्गी बस्ती वालों को सर्वे सर्टिफिकेट दिया है, उसमें कई बातों का उल्लेख है। 2019-20 में कराए गए सर्वे सर्टिफिकेट में झुग्गी का नंबर, झुग्गी में रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के साथ फोटो, कोड संख्या, सर्वे कोड संख्या और लाभार्थी परिवार के वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज होगा। इस योजना के तहत तय शर्तों के आधार पर परिवारों को पक्के फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

केंद्र ने अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ब्योरा मांगा

घर खरीदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी

योजना

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

100 दिन के एजेंडे में रियल एस्टेट सेक्टर को भी शामिल करने का इरादा

05 लाख से ज्यादा घरों के पजेशन में 5 से 9 सालों की देरी देशभर में

देशभर में लाखों फंसे घर खरीदारों को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार फंड की कमी से अटके हजारों आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हितधारकों से एक हफ्ते के भीतर योजना सौंपने को कहा है।

सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में सभी को घर देने के अपने लक्ष्य पर तेजी से काम करने का मन बना रही है। जिसके चलते सरकार के 100 दिनों के एजेंडा में रियल एस्टेट सेक्टर को प्राथमिकता पर शामिल करने का इरादा है। पिछले हफ्ते वित्तमंत्रालय में रियल एस्टेट कंपनियों के साथ मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में इस बात के संकेत मिले हैं। सरकार ने इस सेक्टर के सभी हितधारकों से सुधार से जुड़ी योजना तैयार कर एक हफ्ते के भीतर सौंपने को कहा है। क्रेडाई और नारेड्को जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन इस बारे में नई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। इसी हफ्ते वित्तमंत्रालय के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वित्त मंत्रालय सभी हितधारकों से बातचीत करने के बाद इन कंपनियों की दूसरे संबंधित मंत्रालयों जैसे पर्यावरण मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से बातचीत करेगी।

बजट में राहत संभव

वित्त मंत्रालय कंपनियों की पैसे की किल्लत को दूर करने के खास उपाय कर सकता है। सभी मंत्रालय से बातचीत करके जुलाई में पेश किए जाने वाले नई सरकार के पूर्ण बजट में इसके खास प्रावधान संभव हैं।

घरों की बिक्री 28% घटी

पिछले पांच साल के दौरान घरों के दाम में सात फीसदी का मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान इनकी मांग 28 फीसदी घटी है। इसी तरह घरों की आपूर्ति में इस दौरान 64% की गिरावट आई है।

करोड़ों के प्रोजेक्ट अटके

एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार, अभी देशभर में साढ़े 5 लाख से ज्यादा घरों के पजेशन में देरी है। ये सभी प्रोजेक्ट 2013 से पहले लॉन्च हुए थे। इन घरों की कुल कीमत एनारॉक ने 4 लाख 51 हजार 750 करोड़ रुपए आंकी है।

12/03/2019 दैनिक भास्कर

डॉलर	69.89	↓ 0.25
पाउंड	91.21	↓ 0.58
यूरो	78.60	↑ 0.06
येन (100)	62.93	↓ 0.20

सेंसेक्स.....
निफ्टी.....
सोना (99.
चांदी (.99

danikbhaskar.com

पर्सनल फाइनेंस / निवेश

रेणु सूद कर्नाड, एमडी, एचडीएफसी लिमिटेड

बैंकों को जमीन के लिए कर्ज देने की अनुमति मिले तो घर सस्ते होंगे

भारत में हाउसिंग सेक्टर अब अपना सही स्थान हासिल कर चुका है। सस्ते घरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार हाउसिंग चेन से जुड़े सभी सेगमेंट चाहे वह डेवलपर हो या खरीदार या फिर कर्जदाता सबके लिए उपाय कर रही है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना, डेवलपर्स को सस्ते घरों के निर्माण पर मुनाफे में 100% टैक्स छूट देना, रेरा कानून लागू करना, पहली बार घर खरीदने वालों को सब्सिडी देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स लाना, मूलधन-ब्याज पर डिडक्शन के रूप में मिलने वाला टैक्स बेनिफिट और हाल में प्रॉपर्टी पर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती जैसे उपाय शामिल हैं। इनसे सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। इससे घरों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा।

अंतरिम बजट में भी सरकार ने हाउसिंग सेक्टर पर जोर दिया है। धारा 54 बी के तहत घर बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन को एक घर में निवेश करके टैक्स में छूट हासिल की जा सकती थी। अब इस रकम को दो घरों में निवेश किया जा सकता है। धारा 80 आईबीए के तहत डेवलपर के लिए लाभ 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।

सरकार की फ्लैगशिप स्कीम पीएमएवाई के अंतर्गत सबके लिए घर-2022 योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सस्ते घर मुहैया कराना है। पीएमएवाई के तहत, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के ग्राहकों के लिए कर्ज से जुड़ी सब्सिडी उपलब्ध है। योजना के अनुसार, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग (सालाना छह लाख रु. तक आय) के लोगों को छह लाख रुपए के कर्ज पर 6.5% सालाना ब्याज सब्सिडी मिलेगी। एमआईजी वर्ग के लोगों को 9 लाख रु. और 12 लाख रु. के 20 साल के कर्ज पर ब्याज सब्सिडी क्रमशः 4% और 3% मिलेगी। इनकी सालाना आय 6-18 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। यह योजना एमआईजी के लिए 31 मार्च 2020 तक वैध है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए 31 मार्च 2022 तक वैध है। पीएमएवाई के तहत कर्ज लेने वाले ग्राहकों को 2.30 से 2.67 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। नोटबंदी और रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (रेरा) का लागू होना हाउसिंग सेक्टर के लिए अनुकूल रहा है। नोटबंदी ने रियल एस्टेट सेक्टर में कालेधन की समस्या को कम करने में मदद की। इसके अलावा अधिक आय के खुलासे, भ्रष्टाचार रोकने के सरकारी अभियान, बेनामी संपत्तियों पर रोक से इस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। रेरा से पारदर्शिता बढ़ी है। ग्राहकों का विश्वास मजबूत हुआ है जो प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान एक जरूरी तत्व होता है। रेरा कानून से यह सेक्टर असंगठित से संगठित बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और इंडस्ट्री के काम करने का दौर तरीका भी बदलेगा।

बड़े शहरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट में जमीन की कीमत काफी अधिक होती है। इसको घटाने के उपाय करने की जरूरत है। अभी सिर्फ एनबीएफसी और प्राइवेट इक्विटी फंड जमीन खरीदने के लिए कर्ज दे सकते हैं। लेकिन इनके कर्ज पर ब्याज बहुत अधिक होता है। इससे जमीन की लागत भी काफी बढ़ जाती है। अगर बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को जमीन की खरीदारी में कर्ज देने की अनुमति मिले तो इससे प्रोजेक्ट की लागत भी कम होगी। जिसका फायदा अंततः ग्राहकों को मिलेगा।

बिज़नेस भास्कर

पर्सनल फाइनेंस

देव शंकर त्रिपाठी, एमडी व सीईओ,
आधार हाउसिंग फाइनेंस

घर के एक्सटेंशन और रेनोवेशन के लिए मिलता है कंस्ट्रक्शन लोन

अनीश अपने पुश्तैनी घरों में से एक घर को बड़ा करना चाह रहा था। वह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास होम लोन लेने पहुंचा। लेकिन कंपनी ने उसे होम लोन नहीं, बल्कि एक्सटेंशन / रेनोवेशन / कंस्ट्रक्शन लोन मंजूर किया। अनीश के लिए यह एक नई बात थी। इस तरह का भी कोई लोन होता है यह उसे पता नहीं था। होम लोन एक ऐसा कॉमन डेट प्रोडक्ट है जिसे लोग अपने सपनों का घर खरीदने के लिए लेते हैं। वहीं, होम कंस्ट्रक्शन लोन ऐसा डेट प्रोडक्ट है जो विशेष रूप से घर के विस्तार, मरम्मत और निर्माण के लिए दिया जाता है। आइए जानें होम और कंस्ट्रक्शन लोन में क्या समानता और असमानताएं हैं..

1. लोन की राशि: होम लोन की राशि खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की कीमत पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ, घर के एक्सटेंशन / रेनोवेशन / कंस्ट्रक्शन लोन की राशि उस खर्च पर निर्भर करती है जो सर्टिफाइड इंजीनियर / आर्किटेक्ट द्वारा दी जाती है। होम लोन के मामले में मंजूरी डेवलपर / विक्रेता द्वारा ली जाती है।

2. कर्ज की पात्रता: होम लोन और होम कंस्ट्रक्शन लोन दोनों ही ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक हो, आमदनी पर्याप्त और रोजगार / जॉब ठीक-ठाक हो। लोन की पात्रता लोन-टू-वैल्यू रेशियो पर आधारित होती है। प्रॉपर्टी / कंस्ट्रक्शन की लागत, व्यक्ति की आय से उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता का निर्धारण होता है।

3. लोन की अवधि: होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन दोनों ही लंबी अवधि के कर्ज होते हैं। ये व्यक्ति की मौजूदा उम्र के अनुसार अधिकतम 15-20 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं।

4. कर्जदाता का प्रकार: हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो क्रमशः नेशनल हाउसिंग बैंक / रिजर्व बैंक से रेगुलेटेड होते हैं, होम लोन दे सकते हैं।

5. सिक्युरिटी: होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन दोनों ही खरीदी जाने वाली / मरम्मत / बनाई जाने वाली प्रॉपर्टी को बंधक (मोरगेज) रखकर सिक्योर्ड होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन सिविल इंजीनियर करते हैं। इसके आधार पर लोन की राशि तय होती है।

6. ब्याज दर: लोन और होम कंस्ट्रक्शन लोन में ब्याज की दर लगभग समान होती है और यह फाइनेंसिंग कंपनी की कास्ट ऑफ फंड यानी धन जुटाने की लागत पर निर्भर करती है।

7. लोन की राशि जारी होना: होम लोन के तहत खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो उसके निर्माण की आधार पर कई चरण में लोन की राशि जारी होती है। यदि प्रॉपर्टी तैयार है तो इसके सौदे / ट्रांसफर के वक्त लोन की पूरी राशि विक्रेता को जारी कर दी जाती है। एक्सटेंशन / रेनोवेशन / कंस्ट्रक्शन लोन के मामले में लोन की राशि निर्माण के चरण या इसमें हुई प्रगति के आधार पर कर्ज लेने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है। एक बार कर्ज लेने का उद्देश्य तय हो जाए तो कर्ज लेने वाले व्यक्ति को इन छह पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। मसलन, ब्याज दर, लोन की अवधि, ली जाने वाली फीस, प्रॉपर्टी / कंस्ट्रक्शन के मूल्य से लोन का प्रतिशत, पीएमएवाई-सीएलएसएस उपलब्ध है या नहीं, पार्ट/फुल प्रीपेमेंट करने पर फोरक्लोजर चार्ज।

। इसे लेकर पार्टी मुख्यालय में र्ता के दौरान आप से राज्यसभा । संजय सिंह ने आरोप लगाया ं. हर्षवर्धन ने हरियाणा और

...हरियाणा में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहे। वह दिल्ली का बेटा कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह इस बात को सत्यापित करता है कि भाजपा दिल्ली

चाहता हूं कि उनकी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी कौन हैं? उनकी पार्टी के अन्य सदस्य जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं वह सब कौन हैं?

For more details visit
www.sunresolution.in /
www.eauctions.co.in or contact
CA Ramachandra D. Choudhary
Liquidator of Anil Limited
Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00157/2017-18/10328
rdc_rca@yahoo.com • 079 – 26566577 / 568

24 घण्टे* के अन्दर शुरूआती राहत पायें।
A Quality Product by :
® GOPAL
LIFESCIENCES
AN ISO 9001:2015, GMP & GLP Certified Co.
Toll-Free Helpline No.
1800-121-00-00-55

...की कहे
...गी मुद्दा

पूछा जाएगा कि क्या । आतंकवादी हैं?

कि हाथों पर काले कर करेंगे प्रदर्शन

चाव में मुख्यमंत्री ने आयोजित की थी और गों से यह तय करने । था कि क्या वह हैं, एक भाई है या दी हैं।

आम आदमी र्टी का कहना है पार्टी ने भाजपा प्पणी के खिलाफ दिखाने के लिए थियों का संचालन ता किया है। विरोध । के समर्थक हाथों न बांधेंगे। इसके के बीच पर्चे भी अगले कुछ दिनों ी के मतदाताओं कर उन्हें भाजपा देल्ली की जनता रने के संबंध में ही पार्टी मुख्यमंत्री और आप सरकार ो जनता के बीच के नेताओं की जनता से अपील वह केजरीवाल नहीं मानते तो ाडू को वोट करें।

जल्दी करें!

पहले आओ, पहले पाओ
आधार पर आवंटन

NBCC
HEIGHTS
SECTOR 89
GURUGRAM

एनबीसीसी हाइट्स
सेक्टर-89, गुरुग्राम
मेन पटौदी रोड पर स्थित

आपकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद

आवासीय फ्लैटों की बिक्री आरंभ

[illegible]	विवरण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	आवास का साइज़ (कन्फिग्रेशन)	3 बीएचके	3 बीएचके+स्टडी	4 बीएचके+स्टडी	4 बीएचके+सर्वेन्ट
	बाल्कनी के अलावा कार्पेट एरिया (वर्ग फीट)	1148	1397	1638	1638
2.	सुपर एरिया (वर्ग फीट) 1 वर्ग मीटर=10.764	1752	2125	2458	2462
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] अतिरिक्त

1 वर्ग मीटर=10.764 वर्ग फीट

एनबीसीसी
NBCC
नवरत्न सीपीएसई

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
विपणन कार्यालय:
एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली–110003

फोन करें:
011-46990020, 8527136569, 8527559481
ई–मेल: repre@nbccindia.com
विवरण के लिए वेबसाइट: www.nbccindia.com देखें
फॉलो करें

स्थान
- 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट एवं 12 मीटर चौड़ी सर्विस रोड सहित (ज़ोनिंग प्लान के अनुसार) 75 मीटर चौड़ी पहुंच सड़क (पटौदी रोड)
- एन.एच. 8 एवं द्वारका एक्सप्रेसवे से आसानी से पहुंचने योग्य
- निवासियों के लिए सुविधाजनक दुकानें एवं नर्सरी स्कूल

CC Division, NBCC

नवभारत टाइम्स ... 01/02/2020

<u>स्पीड पोस्ट</u>

पत्रांक: एनबीसीसी/आरटीआई/3625/2018/41

दिनांक: 19.02.2020

श्री दया किशन जोशी,
एफ़-104, गली न0-4,
वेस्ट करावल नगर,
पी.ओ. - करावल नगर,
<u>दिल्ली - 110 090.</u>

विषय: सूचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत भेजे गए आपके दिनांक 03.02.2020 (जो इस कार्यालय में दिनांक 05.02.2020 को प्राप्त हुआ) के आरटीआई आवेदन संख्या 3625 द्वारा मांगी गई सूचना के बारे में।

कृपया आप उपरोक्त विषयान्तर्गत अपने आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जिसके तहत आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर (8 बिन्दु) सूचनाएँ मांगी है।

इस संबंध में आरटीआई आवेदक को सूचित किया जाता है कि यह लोक प्राधिकरण वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित किसी भी परियोजना पर कार्य नहीं कर रहा है, अतः आरटीआई आवेदक द्वारा वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है।

तदनुसार, आरटीआई आवेदक के आवेदन का निपटान किया जाता है।

(राकेश गर्ग)
मुख्य महा प्रबन्धक (सीई) /सीपीआईओ(आरटीआई)

दिल्ली सरकार

077002831906

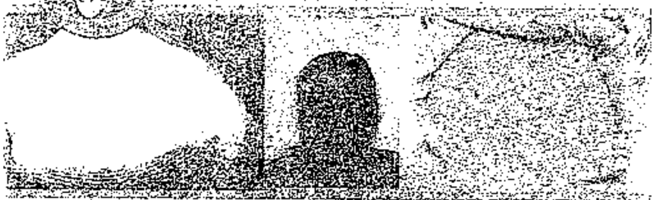

नाम : CHAMPA JOSHI   टाईप : PR-S   एफ.एस.ओ. क्षेत्र - 70

पता : F 104 GALI NO 4 , WEST KARAWAL NAGAR, DELHI - 110094

एफ.पी.एस.नाम : M/S LAKSHMI STORE (6331)

परिवार के सदस्यों के नाम

नाम	नाम
CHAMPA JOSHI	
DAYA KISHAN JOSHI	
NITIN JOSHI	
ISHU JOSHI	

70 / 6331 / 0003

दिल्ली सरकार

BPL EWS Category

प्रमाणित

[illegible]

28/08/2020